

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II
SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 21ST MARCH, 1996

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

New Delhi the 21ST March, 1996

NOTIFICATION

S.O. (E).- Whereas by notification vide S.O. 602(E) dated 12th August, 1993 issued under sub-section (1) read with clause (b) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified the scheme at serial number 7, the Rural Medical health Care Curative and Preventive Measures at Kankhal, by Ramkrishna Mission Sevashrama, Kankhal, as an eligible project or scheme for a period of three assessment years commencing from the assessment year 1994-95;

AND WHEREAS the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

AND WHEREAS the National Committee being satisfied that the said project or scheme is executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of two years;

NOW, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereby specifies the scheme of Rural Medical Health Care Curative and Preventive Measures at Kankhal, which are being carried out by Ramkrishna Mission Sevashrama, Kankhal, at the estimated cost of rupees thirty two lakhs fifty eight thousand only as an eligible project or scheme for a further period of two assessment years commencing from the assessment year 1997-98.


(V.K. SEHGAL)

Deputy Secretary to the Government of India

No. 10033
No. NC-15/96

दिनांक 21 मार्च, 1996 को प्रकाशनाई

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
[राजस्व विभाग]

नई दिल्ली, दिनांक 21 मार्च, 1996

अधिसूचना


का.आ.0 [3]-केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 [1961 का 43] की धारा 35 क ग के स्वच्छीकरण के खण्ड [ख] के साथ बंठित उपधारा [1] के अर्न्तगत दिनांक 12 अगस्त 1993 को का.आ. 602[3] के तहत जारी अधिसूचना के द्वारा क्रम संख्या 7 पर रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम, कनकल द्वारा कनकल में चलाए जा रहे चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल निदानात्मक एवं प्रतिरोधक उपायों को मात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1994-95 से शुरू होनेवाले तीन निर्धारण वर्षों के लिए विनिर्दिष्ट किया जा :

और उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से आगे बढ़ने की संभावना है ;

और राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर निष्पादनी, 1962 के नियम 11 ड के उपनियम [5] के अधीन उक्त परियोजना या स्कीम को दो वर्ष की और अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की एक और सिफारिश की है ;

अतः उक्त केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 [1961 का 43] की धारा 35 क ग के स्वच्छीकरण के खण्ड [ख] के साथ बंठित उपधारा [1] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम, कनकल द्वारा कनकल में चलाए जा रहे चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल निदानात्मक एवं प्रतिरोधक उपायों

की योजना को मात्र परियोजना या स्कीम के रूप में
निर्धारण वर्ष 1997-98 से आरम्भ होने वाले दो
निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है।


[बी०के० तहगल]

उप सचिव, भारत सरकार

सं. 10033

फा.सं. स्म.ती.-15/96

प्रशिक्षकान्तः